श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 05.05.2012 को समाहरणालय सभागार में सम्पन्न विकास समन्वय समिति की मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थितिः-

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री विपिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
3. श्री राजेश कुमार, व0उ0स0 प्रभारी, जिला विकास शाखा, मुंगेर।
4. श्री अजय कुमार तिवारी, व0उ0स0 प्रभारी, जिला प्रोग्राम कार्यालय, मुंगेर।
5. श्री कुशेश्वर दास, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।
6. श्रीमती मीना सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-1, मुंगेर।
8. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2, मुंगेर।
9. कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, मुंगेर।
10. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर।
11. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर।

सर्वप्रथम विभागवार विकासपरक योजनाओं की समीक्षा के पूर्व कई विभागवार महत्वपूर्ण कार्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने के लिए निम्न निदेश दिये गये :-

<u>सहायक/कनीय अभियंता के स्थानान्तरण की स्थिति :-</u>

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिहार, पटना के पत्रांक 125, दिनांक 16.04.12 से सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को विभिन्न प्रखंडों में प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रतिनियुक्ति के समय यह ध्यान रखा गया था कि उनकी प्रतिनियुक्ति यथासंभव उनके क्षेत्रों में ही हो जिसके लिए विभाग द्वारा भी उन्हें अधिसूचित किया गया है। साथ ही यह भी निदेश दिया गया था कि पूर्व की सभी लंबित कार्यों को 10.05.2012 तक पूर्ण करते हुए सभी संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता संबंधित योजना का अभिलेख एवं मापी पुस्त अपने प्रतिस्थानी कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को निश्चित रूप से सौंप दें। उक्त पत्र में यह भी आदेश दिया गया है कि इस जिले से अन्यत्र दूसरे जिले में यदि सहायक एवं कनीय अभियंता का स्थानान्तरण किया गया है, जो इस जिले से विरमित नहीं हुए हैं तो उनका सम्पूर्ण प्रभार किसी अन्य अभियंता को देते हुए दिनांक 25.05.12 तक प्रभार दिलाने की पूर्ण जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

समीक्षा के क्रम में यह स्पष्ट होना कि विभाग द्वारा सहायक एवं कनीय अभियंताओं के स्थानान्तरण आदेश में प्रखंड आवंटित किये जाने एवं जिला स्तर से भी

आदेश निर्गत किये जाने के पश्चात् आज तक कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2, मुंगेर द्वारा संबंधित कनीय अभियंता को संबंधित प्रखंड में नहीं भेजा गया है तथा उनके द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि वे किसी अन्य प्रखंड में अन्य कार्य कर रहे हैं, अत्यन्त चिंताजनक है एवं स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा इस प्रकार अपने कार्यों में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। अतः निदेश दिया गया कि विभागीय सचिव को इस तथ्य से अवगत कराया जाय कि विभागीय अधिसूचना के अनुपालन करने में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2 को कोई रूचि नहीं है।

- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग-2, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि नवपदस्थापित कनीय अभियंता इस सप्ताह में आवंटित नये प्रखंड में कार्य प्रांरभ कर दें, अन्यथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।
- इसी क्रम में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2, मुंगेर ने बताया कि कनीय अभियंता, रामदर्शन राम द्वारा इस जिले से वेतन नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनका एल0पी0सी0 कार्य प्रमंडल को अप्राप्त है। इस निमित्त निदेश दिया गया कि उक्त कनीय अभियंता के पूर्व पदस्थापन स्थान से पत्राचार कर यह सुनिश्चित करें कि उक्त अवधि में उनका एल0पी0सी0 कार्यालय को प्राप्त था या नहीं। साथ ही यह भी जांच करें कि एक लम्बे समय से बिना वेतन प्राप्त किये वे अपना दैनिक जीवन का निर्वाह कैसे कर रहे हैं।
- कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, मुंगेर ने बताया कि श्री शंभू प्रसाद, सहायक अभियंता काफी समय से गायब है। अतः निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, मुंगेर दो दिनों के अन्दर उक्त सहायक अभियंता के विरूद्ध कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने का प्रतिवेदन विभाग को भेंजे।
- साथ ही अन्य सभी कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि इस जिले से स्थानान्तरित सभी सहायक एवं कनीय अभियंता को पांच दिनों के अन्दर निश्चित रूप से विरमित कर दिया जाय।
- सभी पदस्थापित कनीय अभियंता जिनका कोई विभागीय कार्यालय पूर्व से नहीं है, वे सभी प्रखंड कार्यालय में ही बैठेंगे।
- सभी कार्यपालक अभियंता 10 (दस) दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को यह प्रमाण पत्र के साथ सूची उपलब्ध करायेंगे कि उनके प्रमंडल के सभी सहायक एवं कनीय अभियंताओं का एल0पी0सी0 उनके प्रमंडल में प्राप्त है और वेतन इसी प्रमंडल से प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जो सहायक एवं कनीय अभियंता इस जिले से वेतन प्राप्त नहीं करते हैं उसकी भी सूची तैयार कर उपलब्ध करायेंगे।

कब्रिस्तान घेराबन्दी :-

समीक्षा के क्रम में कुल 16 योजनाओं में 07 योजनाओं के भौतिक रूप से अपूर्ण होने का प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, ग्रमीण कार्य प्रमंडल-2 के पत्रांक 410, दिनांक 04.05.12 से प्राप्त है। अपूर्ण 07 योजनाओं में मुख्य निम्न प्रकार है :-

- समर्पित प्रतिवेदन के क्र0 07 पर अंकित योजना को अपूर्ण दिखाया गया है जो वित्तीय वर्ष 2006-07 का है। उक्त योजना के संबंध में कार्य0 पदा0 ने बताया कि गजेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता द्वारा 50,000/- (पचास हजार) रू0 काफी लम्बे समय से अग्रिम लेकर चले जाने के कारण उक्त योजना पर आगे कार्य नहीं हो सका है। तत्क्षण कार्य0 पदा0, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2 द्वारा बताया गया कि एक अन्य मामले में उक्त कनीय अभियंता पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद वे वर्तमान में जेल में हैं। यह आश्चर्यजनक है कि इस मामले में लगभग छह माहों में अलग से बैठकों में पूछे जाने पर कार्यपालक अभियंता द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया कि कनीय अभियंता, गजेन्द्र प्रसाद सिंह के पास 50,000/- (पचास हजार) रू0 अग्रिम है, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, अतः इसे गबन मानते हुए कनीय अभियंता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश संचिका में उप विकास आयुक्त, मुंगेर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।
- प्रतिवेदन के अनुसार अंकित किया गया है कि क्रमांक 09 पर उल्लिखित धरहरा प्रखंड के बंगलवा पंचायत में कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना का कार्य लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। साथ ही कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2 ने प्रतिवेदित किया है कि उक्त योजना में 1,00,000/- (एक लाख) रू0 अग्रिम सिराज अहमद एवं 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) रू0 गजेन्द्र प्रसाद सिंह को दिया गया है। वर्तमान में योजना अपूर्ण है एवं तत्कालीन कनीय अभियंता, सिराज अहमद एवं गजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा मापी पुस्त के साथ लेखा समर्पित नहीं किया गया है जबकि संलग्न फोटोग्राफ को देखने से प्रतीत होता है कि किसी भी परिस्थिति में कार्य 25-30 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ है। इस प्रकार कार्यपालक अभियंता का उक्त समर्पित प्रतिवेदन निश्चित तौर पर गलत है। इस हेतु वास्तविक एम0बी0 करने के लिए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-1 के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया जाता है जो अपने सहायक एवं कनीय अभियंता के साथ जांच कर 15 दिनों के अन्दर जांच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे एवं यदि जांचोपरान्त पाया जाता है कि वास्तव में राशि का गबन किया गया है तो उक्त दोनों कनीय अभियंता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे।

- प्रतिवेदन के अनुसार क्रमांक 12 पर सोझीघाट कब्रिस्तान की घेराबन्दी योजना का कार्य अपूर्ण है एवं सिराज अहमद, कनीय अभियंता को अग्रिम दिया गया है। कार्य0 अभि0 द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बिना लेखा एवं मापी पुस्त समर्पित किये शेखपुरा जिला चले गये हैं। इसी क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा द्वारा बताया गया कि सिराज अहमद धरहरा प्रखंड में कनीय अभियंता के रूप में पदस्थापित थे एवं विगत तीन साल में उन्होंने कभी वेतन नहीं लिया है तथा उनका एल0पी0सी0 उनके पूर्व पदस्थापित स्थल दरभंगा से कभी नहीं आया है। यह जांच का विषय है कि विगत तीन साल के पदस्थापन अवधि में श्री सिराज अहमद द्वारा बिना वेतन, एल0पी0सी0 एवं बिना विरमित हुए शेखपुरा जिला चले गये हैं। इस हेतु निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अनुरोध किया जाय कि सिराज अहमद, कनीय अभियंता बिना एल0पी0सी0 एवं वेतन प्राप्त किये सालों साल कार्य कर रहे हैं और साथ ही इस जिले में उनके उपर जो बकाया है, उसकी वसूली हेतु उन्हें इस जिले में प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया जाय। साथ ही निदेश दिया गया कि सिराज अहमद, कनीय अभियंता द्वारा कराये गये सभी कार्यों की सूची कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, मुंगेर तैयार करेंगे।

<u>सांसद/विधायक/पार्षद योजना :-</u>

- समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि बारम्बार सूचित किये जाने के फलस्वरूप भी आज तक कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2 ने विधायक एवं पार्षद योजना का कोई प्रतिवेदन पिछले छह माहों में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं कराया है।
- बैठक की कार्यवाही के दौरान ही कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, मुंगेर द्वारा विधायक योजना का प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया गया है जिसे देखने से स्पष्ट होता है कि मुंगेर विधानसभा कार्यकाल में श्री विश्वनाथ गुप्ता, भूतपूर्व विधायक द्वारा भी अनुशंसित 45 योजनाएं अबतक अपूर्ण है एवं इस विधानसभा कार्यकाल में भी अधिकांश योजनाएं जून, 2011 के पूर्व की है, किन्तु लगभग 80 प्रतिशत योजनाएं अपूर्ण है।
- समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कनीय अभियंता, गजेन्द्र प्रसाद सिंह को काफी राशि अग्रिम के रूप में दी गयी है तथा एक अन्य मामले में परिलक्षित अनियमितता के कारण वे वर्तमान में जेल में हैं जिसके कारण आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं हो पा रहा है। साथ ही जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश योजनाएं गजेन्द्र प्रसाद सिंह के पास ही हैं। दूसरी तरफ खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र

के संबंध में कार्य0 अभि0 ने बताया कि पूर्व माननीय विधायक श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी द्वारा अनुशंसित योजनाएं तत्कालीन कनीय अभियंता, कामेश्वर सिंह के पारा है, जिनका स्थानान्तरण जमुई जिला हो जाने के कारण योजनाएं अभी तक अधूरी है तथा वे कभी-कभी प्रखंड में आकर कार्य करते हैं। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है कि स्थानान्तरित कनीय अभियंता, अन्यत्र जिला में स्थानान्तरण के पश्चात् अपने पुराने पदस्थापित जिले में आकर विभागीय कार्य करते हैं। साथ ही इस प्रकार की स्थिति को बढ़ावा देने से अभियंत्रण कार्यों में माफियागिरी आगे बढ़ती है, अतः कार्य0 अभि0, एन0आर0ई0पी0, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि आज की तिथि दिनांक 05.05.12 के तुरन्त बाद ऐसे सभी कार्यों की एम0बी0 पूर्व स्थानान्तरित अभियंता से लेकर नव पदस्थापित कनीय अभियंता को दी जाय एवं किसी प्रकार की गलती से यह माना जाएगा कि इस प्रकार की अनियमितता में उनकी भी सहभागिता है। ध्यातव्य हो कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर के पत्रांक 125, दिनांक 16.04.12 में पहले ही यह निदेश दिया जा चुका है कि किसी भी परिस्थिति में अन्यत्र जिले में स्थानान्तरित सहायक/कनीय अभियंता से कार्य नहीं लिया जाय, किन्तु इस प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आना चिंताजनक है।

- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सर्वप्रथम निदेश दिया गया कि नवपदस्थापित कनीय अभियंता से मापी बुक करा लें। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर, संग्रामपुर, टेटियाबंबर एवं असरगंज द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें अभिकर्त्ता पंचायत सचिव हैं एवं कनीय अभियंता का कार्य योजनाओं की मापी का होता है। अतः संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान पंचायत सचिव के पास संबंधित योजनाओं की पूर्ण अभिलेख है एवं नवपदस्थापित कनीय अभियंता से योजनाओं की मापी कराकर एक माह के अन्दर लंबित कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- सांसद योजनाओं की समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित एजेंसियों को निदेश दिया गया कि 15.06.2012 के पूर्व अपूर्ण सभी योजनओं को निश्चित रूप से पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

<u>तकनीकी विभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्य :-</u>

- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2, मुंगेर जून माह के अन्त तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत ली गयी सभी योजनाओं को पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

- मुख्यमंत्री सेतु एवं सड़क योजना अन्तर्गत ली गयी योजनाओं का अद्यतन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर जिला योजना कार्यालय, मुंगेर को उपलब्ध कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-1/2 को दिया गया।
- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2, मुंगेर कुण्डस्थान से भीम बांध रोड पर वन विभाग से अनापत्ति शीघ्र प्राप्त कर निविदा कर नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित करें।
- नवनिर्मित जिला सूचना केन्द्र भवन में शेष कार्य को एक माह के अन्दर समाप्त कर अकाउण्ट बंद करने एवं अंतिम भुगतान के लिए राशि की मांग करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2, मुंगेर को दिया गया।
- उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि निर्माणाधीन ऑडिटोरियाम-सह-इन्डोर स्टेडियम के रख-रखाव हेतु जिलास्तरीय समिति के गठन की तैयारी कर लें।

भवन प्रमंडल :-

- समीक्षा अवधि में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा आश्वस्त किया गया कि म्यूजियम भवन निर्माण का कार्य 30 मई तक पूर्ण हो जाएगा। वर्तमान में campus development और phed का कार्य शेष है। उन्होंने बताया कि अभी तक कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना से पूर्ण आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर म्यूजियम की अद्यतन वस्तुस्थिति से अवगत करायें तथा उक्त पत्र की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायें ताकि विभाग से अवशेष राशि की मांग हेतु अनुरोध किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा आश्वासन दिया गया कि जिले में निर्माणाधीन राज्य खाद्य निगम के पांच गोदामों में मुंगेर एवं खड़गपुर प्रखंड में गोदाम का निर्माण 20 मई, तारापुर एवं धरहरा प्रखंड में गोदाम का निर्माण 30 मई एवं संग्रामपुर प्रखंड में गोदाम का निर्माण 15 जून तक निश्चित रूप से पूर्ण कर दिया जाएगा।
- अल्पसंख्यक छात्रावास की मरम्मति के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल को प्राक्कलन तैयार करने का निदेश दिया गया।
- जिले में निर्मित ई-किसान भवन को प्रखंड कृषि पदाधिकारी को हस्तगत कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, भनन प्रमंडल, मुंगेर को दिया गया।

सामाजिक सुरक्षा :-

- समीक्षा अवधि में उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि पेंशनधारियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए Verification-cum-Photography Camp के कार्यक्रम हेतु पंचायतवार रोस्टर तैयार करें जिसकी शुरूआत 09.05.12 से अवश्य हो। उक्त शिविर की सफलता हेतु प्रत्येक प्रखंड को दो फोटोग्राफर कैमरे के साथ मुख्यालय से उपलबध कराया जाएगा। यह व्यवस्था पूरी तरह मतदाता पहचान पत्र बनाने जैसा ही है, अर्थात् जिस तरह मतदाताओं की पहचान हेतु फोटो लेकर पहचान पत्र तैयार किये जाते हैं उसी तरह पेंशनधारियों की पहचान हेतु उनका फोटो, हाथ में सादे बोर्ड पर अंकित उनका नाम, जन्म तिथि एवं पेंशन का प्रकार लिखकर किया जाएगा। उक्त कार्य को 15 दिनों के अन्दर पूर्ण कराया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। साथ ही निदेश दिया गया कि आवश्यकतानुसार कार्य को जल्दी करने के लिए अलग से फोटोग्राफर रख सकते हैं जिनकी मजदूरी का भुगतान 2.00/- रू0 प्रति फोटो की निर्धारित दर पर ही की जाएगी।
- पारिवारिक लाभ योजना एवं कबीर अन्त्येष्टि योजना के अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं सूची के संदर्भ में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 12.05.12 को निर्धारित विकास की समीक्षा बैठक में निश्चित रूप से सभी योजनाओं (पारिवारिक लाभ योजना/कबीर अन्त्येष्टि योजना/विकलांग छात्रवृत्ति इत्यादि) की उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लाभार्थियों की सूची लेकर उपस्थित होंगे।

आई0सी0डी0एस0 :-

- उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि अधोहस्ताक्षरी के स्तर से एक आदेश निर्गत किया जाय कि आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण बिना बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के नक्सा पर हस्ताक्षर किये हुए नहीं होना है।

इंदिरा आवास योजना :-

- विभागीय दिशा-निर्देशानुसार सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित प्रखंडों में पंचायतवार शिविर आयोजन करने एवं उक्त शिविर में ही वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन कराने के प्रदत्त निदेश का अनुपालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित करेंगे।
- MIS data entry हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के पंचायतवार लाभार्थियों का आंकड़ा कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें।

- वित्तीय वर्ष 2011-12 के लाभार्थियों के भौतिक सत्यापनोपरान्त द्वितीय किस्त देने के लिए लाभार्थियों की सूची तैयार करें ताकि वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए लक्ष्य प्राप्त हो सके।
- जिन पंचायतों में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो अंतिम रूप से तैयार अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की पंचायतवार सूची उप विकास आयुक्त, मुंगेर को उपलब्ध करायें ताकि उसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जा सके।
- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार कर उपलब्ध करायें। साथ ही लंबित डी0सी0 बिल को शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- जिन पंचायत सेवाकों/मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज है एवं वे काफी समय से फरार हैं तो वैसे पंचायत सेवकों/मुखिया की स्पष्ट जानकारी संबंधित बैंकों को अवश्य दी जाय जिनसे वे योजनाओं के राशि की निकासी करते हैं।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

30/09/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 103 /विकास, दिनांक 10/05/12

प्रतिलिपि :-उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सिविल सर्जन, मुंगेर/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर/निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर/ निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुगेर/सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/09/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 103 /विकास, दिनांक 10/05/12

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ।

30/09/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।